Real Estate Regulatory Authority Madhya Pradesh | भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण मध्यप्रदेश

रेरा भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल दूरभाष-0755-2556760
Website:- www.rera.mp.gov.in, Email id- secretaryrera@mp.gov.in

क्रमांक 2021/II-R/A-05/F-332/1487 भोपाल, दिनांक 29/04/2022

प्रति,

जैन बिल्डर्स,
सम्प्रवर्तक,
9, जैन नगर, लालघाटी,
भोपाल (म०प्र०)

विषय: परियोजना **ड्रीम हाईट्स, भोपाल** (REF. No. **264843564715**) के संबंध में।

\- O -

कृपया विषयांकित आपके आवेदन का स्मरण करें।
प्राधिकरण के आदेशानुसार मुझे यह सूचित करने के निर्देश हुए है कि :-

" परियोजना **ड्रीम हाईट्स, भोपाल** का पंजीकरण सशर्त मान्य किया गया है। परियोजना को पंजीयन क्रमांक **P-BPL-22-3312** आवंटित किया गया है। ***परियोजना प्रमाण पत्र एवं आदेश की प्रति संलग्न है।***"

कृपया उपर्युक्तानुसार सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

**संलग्न - उपरोक्तानुसार।**

(नीरज दुबे)
o/c सचिव
म०प्र० भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

## म-प्र-भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, भोपाल

आदेश–पत्रिका

प्रोजेक्ट आई डी: 264843564715

...ट का नाम–ड्रीम हाईट्स, भोपाल | आदेश | प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

...ही की ...ख, स्थान

27.04.2022

प्रोजेक्ट का नाम – ड्रीम हाईट्स, भोपाल।

सम्प्रवर्तक का नाम – जैन बिल्डर्स, भोपाल।

1– प्रस्तुत प्रकरण में आज दिनांक को सुनवाई में आवेदक की ओर से श्री अंकित जैन, अधिवक्ता उपस्थित हुए। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त वांछित जानकारियां प्रस्तुत कर दी हैं। आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर उपसचिव एवं पंजीयन अधिकारी द्वारा परीक्षण टीप में उल्लेख है कि परियोजना को डेडीकेटेड बैंक खाता खोला गया है, किन्तु पोर्टल पर अभी भी पूर्व का धनादेश जो सम्प्रवर्तक के नाम का है, अपलोडेड है। फर्म का रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी के पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 25.04.2022 की हार्ड कॉपी प्रस्तुत की गई है, किन्तु आवेदक के पोर्टल पर अभी फर्म का पंजीयन प्रमाण के स्थान पर गुमाशता लाईसेंस अपलोडेड है, उक्त को छोड़कर शेष औपचारिकताएं पूर्ण हैं एवं पंजीयन आवेदन मान्य किये जाने की अनुशंसा की गई है।

2– आवेदक– जैन बिल्डर्स, भोपाल हैं, जो कि पार्टनरशिप फर्म श्रेणी के आवेदक हैं, उनके द्वारा, परियोजना– ड्रीम हाईट्स, भोपाल का पंजीयन भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदक द्वारा, भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 धारा 4 (2) एवं म.प्र. भू–संपदा (विनियिमन एवं विकास) नियम 3 के अंतर्गत पैरा क्रमांक– 1 में वर्णित कमियों को छोड़कर शेष अपेक्षित परियोजना विवरण, सक्षम प्राधिकारी की प्रतियां एवं शपथ पत्र समर्थित घोषणाएं प्रस्तुत की गईं हैं। परियोजना ग्राम– सिंगारचोली, तहसील– हुजूर एवं जिला– भोपाल के खसरा क्रमांक– 35/3/1/ख/002 एवं 36/102/35/1 भूखण्ड क्रमांक– 38 कुल रकबा 970 वर्गमीटर पर प्रस्तावित हैं। पंजीयन अधिकारी की संक्षेपिका अनुसार भूमि आवेदक फर्म के स्वामित्व की है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र फार्म बी के अनुसार भाररहित है।

3– परियोजना नवीन हो कर अपार्टमेन्ट विकास से संबंधित है जिसमें 970 वर्गमीटर क्षेत्रफल में रुपये 279.11 लाख की लागत से विकसित की जानी हैं, जिसमें 16 ईकाईयां विकसित की जानी हैं। पैरा क्रमांक– 1 में वर्णित कमियों को छोड़कर शेष वांछित औपचारिकताएं पूर्ण होने से पंजीयन हेतु विचाराधीन आवेदन अधिनियम की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर स्वीकार किया जाता है। परियोजना की पूर्णता तिथि आवेदन में दर्शाये अनुसार दिनांक 10.06.2022 रहेगी। अधिनियम की धारा 11 एवं नियम 9, 14, 15, 16 में वर्णित सम्प्रवर्तक के कृत्य एवं कर्त्तव्यों का पालन सम्प्रवर्तक द्वारा किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त पंजीयन निम्न शर्तों के अध्यधीन होगा :–

(i) सम्प्रवर्तक अधिनियम की धारा 4 (2)(ठ)(ई) के अनुसार आवंटितियों से इस भू–संपदा परियोजना के लिये समय–समय पर वसूल की गई रकमों का 70% निर्माण के खर्चों एवं भूमि की लागत को पूरा करने के लिये अनुसूचित बैंक में खोले गये पृथक खाता का विवरण प्राधिकरण के पोर्टल पर 07 दिवस में अपलोड करेगा।

(ii) फर्म का रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटी के पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 25.04.2022 की हार्ड कॉपी प्रस्तुत की गई है, किन्तु आवेदक के पोर्टल पर अभी फर्म का पंजीयन प्रमाण के स्थान पर गुमाशता लाईसेंस अपलोडेड है, अतः 07 दिवस के अंदर प्राधिकरण के पोर्टल पर अपलोड करें।

आई.टी. ऑपरेटर ऑनलाईन प्रविष्टि करे एवं सचिव प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में अनुवर्ती कार्यवाही की जाये।

(सुरेन्द्र सिंह राजपूत)
सदस्य

(ए.पी. श्रीवास्तव)
अध्यक्ष

अवर सचिव
म.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण
भोपाल (म.प्र.)

Real Estate
Regulatroy Authority
Madhya Pradesh

म.प्र. भू-संपदा
विनियामक प्राधिकरण
मध्यप्रदेश

रेरा भवन, अरेरा हिल, भोपाल, दूरभाष : 0755-2556340, 2556760
Website : www.rera.mp.gov.in, Email id : secretaryrera@mp.gov.in

प्ररूप - ग, नियम 6-(1)

# परियोजना का पंजीयन प्रमाण पत्र

यह पंजीयन अधिनियम की धारा -5 के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजना के लिये दिया जा रहा है

पंजीयन क्रमांक : P-BPL-22-3312

परियोजना का नाम : ड्रीम हाइट्स, भोपाल

परियोजना का विवरण पता सहित :

1. व्यक्ति के मामले में : श्री/श्रीमती ........ पुत्र श्री/श्रीमती ........
........ तहसील ........ जिला ........ राज्य ........

अथवा

फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी के मामले में :

फर्म/सोसाइटी/कंपनी/सक्षम प्राधिकारी, इसका पंजीकृत कार्यालय/व्यापार का मुख्य स्थान जैन बिल्डर्स, भोपाल
9- जैन नगर, लालघाटी- भोपाल- म.प्र.

2. यह पंजीयन निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया गया है :
   (i) संप्रवर्तक आवंटितियों के साथ विक्रय अनुबंध करेगा, जैसा कि मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के अनुलग्रक-A में प्रविहित किया गया है।
   (ii) संप्रवर्तक अधिनियम की धार-17 के अनुसार आवंटितिगण या उनके संगम के पक्ष में, जैसा भी मामला हो, प्रकोष्ठ या परियोजना के सामान्य क्षेत्रों में अविभाजित अनुपातिक हक सहित हस्तांतरण विलेख निष्पादित करेगा और इसका पंजीकरण करायेगा।
   (iii) संप्रवर्तक अधिनियम की धारा-4 उपधारा-(2) खण्ड (I) उपखण्ड (D) के प्रावधान अनुसार आवंटितिगण से वसूली गई रकमों का 70 प्रतिशत, केवल निर्माण के खर्चों एवं भूमि की लागत को पूरा करने के लिये, एक अनुसूचित बैंक में बनाये रखे जाने वाले पृथक खाते में जमा करेगा।
   (iv) पंजीयन दिनांक 27-04-2022 से प्रारंभ होकर दिनांक 10-06-2022 तक की अवधि के लिये विधिमान्य रहेगा, जब तक कि इसे भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा-7 और मध्यप्रदेश भू-संपदा (विनियमन और विकास) नियम, 2017 के नियम-7 के अनुसार नवीकृत न कर दिया जावे।
   (v) संप्रवर्तक अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के प्रावधानों का पालन करेगा।
   (vi) संप्रवर्तक, जिस क्षेत्र में परियोजना का विकास किया जा रहा है वहां की अन्य किसी विधि के तत्समय प्रभावी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगा।
3. यदि संप्रवर्तक ऊपर उल्लेखित शर्तों को पूरा नहीं करता है तो भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण संप्रवर्तक के विरुद्ध अधिनियम, नियमों के प्रावधानों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर सकता है, जिसमें उसे प्रदान किये गये पंजीयन का प्रतिसंहरण भी सम्मिलित किया जा सकता है।
4. उक्त परियोजना प्रकरण भू-संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम की धारा 9,11,14,15 एवं 16 में उल्लेखित प्रावधानों के अध्यधीन मान्य किया जाता है।

दिनांक : 27-04-2022

स्थान : भोपाल

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
म.प्र. भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण